



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय

की

उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

(केन्द्रीय क्षेत्र एवं केन्द्र प्रायोजित ₹ 500 करोड़ से कम लागत वाली योजना हेतु)

**OUTPUT OUTCOME MONITORING**

**FRAMEWORK**

(For Central Sector and Centrally Sponsored Schemes costing less than ₹500 crore)

**OF**

**MINISTRY OF FINANCE**

**2020-2021**

## विषय सूची

| क्रमांक संख्या | विभाग   | पृष्ठ संख्या |
|----------------|---|--------------|
| 1.             | मांग संख्या 27 - आर्थिक कार्य विभाग   |              |
| (i)            | अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण (सीएस)  | 1            |
| (ii)           | भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समकरण सहायता (सीएस)  | 2-3          |
| 2.             | मांग संख्या 29 - वित्तीय सेवाएं विभाग   |              |
| (i)            | वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना हेतु एलआईसी को भुगतान  | 4            |
| (ii)           | प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (पीएमवीवीवाई)  | 5            |
| (iii)          | अटल पेंशन योजना (एपीवाई)  | 6-7          |
| (iv)           | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए प्रचार/जागरूकता हेतु सहायता | 7            |
| (v)            | इंडो-स्विस सहयोग-VI नाबार्ड, इंडो-स्विस परियोजना करार के अंतर्गत दावों के निपटान हेतु नाबार्ड को अनुदान                                 | 7            |
| (vi)           | आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि में अंशदान  | 8            |
| (vii)          | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) तथा मुद्रा लिमिटेड द्वारा अन्य पहल के लिए प्रचार-प्रसार और जागरूकता                               | 8            |
| (viii)         | स्टैंड अप इंडिया गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के माध्यम से)  | 9            |
| (ix)           | स्टैंड अप इंडिया तथा सिडबी द्वारा अन्य पहलों के बारे में प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता   | 9            |
| (x)            | भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता   | 9            |
| (XI)           | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूजीकरण   | 10           |

आर्थिक कार्य विभाग

1. अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण (सीएस)

| वित्तीय<br>परिव्यय (करोड़<br>रुपये) | परिणाम 2020-21   |   |                    | निष्कर्ष 2020-21                            |   |                 |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|---|---|-----------------|
|                                     | परिणाम   | संकेतक  | लक्ष्य             | निष्कर्ष                                    | संकेतक  | लक्ष्य          |
| 240.69                              | 1. अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता/अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण प्रदान करना। | 1.1 अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण के रूप में कुल अनुमोदित राशि (ईआई/ईसी द्वारा अंतिम अनुमोदन) (करोड़ रुपये) | 1000 करोड़ रुपये   | 1. वर्धित निजी क्षेत्र सहभागिता और अवसंरचना | 1.1 वीजीएफ को छोड़कर सहायता- प्राप्त परियोजनाओं में कुल निवल निजी निवेश (अनुमानित) (करोड़ रुपये)    | 960 करोड़ रुपये |
|                                     |  | 1.2 संवितरित किया जाने वाला अपेक्षित वीजीएफ (वित्तीय परिव्यय)   | 240.69 करोड़ रुपये |   | 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में सहायता- प्राप्त परियोजनाओं में निजी निवेश में प्रतिशत वृद्धि (अनुमानित) | 0 %             |
|                                     |  | 1.3 सहायता प्राप्त कुल परियोजनाओं की संख्या (क्षेत्रवार)  | 6                  |   |   |                 |
|                                     |  | 1.4 सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कुल निवेश (अनुमानित) (करोड़ रुपये)                                      | 1200 करोड़ रुपये   |   |   |                 |

2. भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समकरण सहायता (सीएस)

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपए)   | परिणाम 2020-21   |  |   | निष्कर्ष 2020-21   |   |                                  |
|---|--|--|---|--|---|----------------------------------|
|   | परिणाम   | संकेतक   | लक्ष्य  | निष्कर्ष   | संकेतक  | लक्ष्य 2020-21                   |
| 20.85   | 1. यदि निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली और घरेलू तौर पर उत्पादन करने वाली कोई भारतीय कंपनी ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा प्रदत्त परियोजना के निष्पादन के लिए ठेका प्राप्त करने में सफल हो जाती है और परियोजना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है तो एक्सिम बैंक को किसी भी विदेशी सरकार या विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी को | 1.1. रियायती वित्तपोषण योजना (सी.एफ.एस.) के अन्तर्गत एक्सिम बैंक को दी गई ब्याज समकरण सहायता की राशि (रु. में) | 293.53 करोड़ रुपए अनुमानित  | 1. भारतीय कंपनियों को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में मदद करना। | 1.1. उन ठेकों की संख्या जिनमें भारतीय कंपनियां इस योजना के तहत ठेके प्राप्त करने में सफल हुईं | लक्ष्य निश्चित नहीं किए जा सकते। |
| 1.2. सी.एफ.एस. के तहत वित्तपोषण के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या        |  | 1  | 1.2. इस योजना के तहत भारतीय कंपनियों को दिए गए ठेकों की राशि  |  | लक्ष्य निश्चित नहीं किए जा सकते।  |                                  |
| 1.3. सी.एफ.एस. के तहत वित्तपोषण की राशि (अमेरिकी डॉलर में)                  |  | 1600 मिलियन  | 2. विदेश में भारत के सामरिक राजनैतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना और अन्य देशों के साथ सा तथा दीर्घकालिक साझेदारी भी बनाना। | 2.1. भारत के सामरिक, राजनैतिक और आर्थिक हित तथा साख का संवर्धन करना।                               | लक्ष्य निश्चित नहीं किए जा सकते।  |                                  |
| 1.4. सी.एफ.एस. के तहत आईईएस के भुगतान के लिए निधियों का उपयोग (प्रतिशत में) |  | 100%   |   |  |   |                                  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| रियायती दर पर वित्त<br>की पेशकश करने में<br>इसे समर्थ बनाने के<br>लिए सीएफएस स्कीम<br>के तहत ब्याज<br>समकरण सहायता। |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

वित्तीय सेवाएं विभाग

| वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में) |   | प्रतिफल 2020-21  |  |  | परिणाम 2020-21   |   |                |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|----------------|
| क्र. सं.                         | 2020-21   | प्रतिफल 2020-21  | संकेतक   | लक्ष्य 2020-21   | प्रतिफल  | संकेतक  | लक्ष्य 2020-21 |
| 1                                | वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना हेतु एलआईसी को भुगतान  |  |  |  |  |   |                |
| 115.10                           | <p>एलआईसी को ब्याज सब्सिडी के रूप में अंशदान</p> <p>वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) के 100% अभिदाताओं को समय पर संवितरण</p> | <p>एलआईसी को ब्याज सब्सिडी के रूप में दी गयी अंशदान की राशि (करोड़ में)</p> <p>कवर किए गए अभिदाताओं का प्रतिशत</p> | <p>वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) -2003 और वीपीबीवाई-2014 सीमित अवधि वाली योजनाएं हैं, अतः इन योजनाओं के अंतर्गत कोई और नामांकन नहीं हो सकता है। तथापि, इन योजनाओं के चालू रहने के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा घोषित 9% के सुनिश्चित प्रतिफल की प्रतिबद्धता के अनुसार सेवा दी जा रही है। इस प्रकार, इस योजना हेतु अन्य कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।</p> | <p>वास्तविक प्रतिफल दर तथा 9% के सुनिश्चित प्रतिफल दर के बीच किसी अंतर के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम को निधि मुहैया कराने के माध्यम से सभी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) के अभिदाताओं को 100% प्रतिफल सुनिश्चित किया गया।</p> | <p>योजनाओं के तहत अभिदाताओं को 100 प्रतिशत सुनिश्चित प्रतिफल</p> | <p>वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) - 2003 और वीपीबीवाई-2014 सीमित अवधि वाली योजनाएं हैं, अतः इन योजनाओं के अंतर्गत कोई और नामांकन नहीं हो सकता है। तथापि, सरकार समस्त मौजूदा वीपीबीवाई अभिदाताओं को 100% प्रतिफल सुनिश्चित कराने हेतु प्रतिबद्ध है।</p> |                |

|        |  |   |  |   |  |  |  |
|--------|--|---|--|---|--|--|--|
| 2      | प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (पीएमवीवीवाई)                           |   |  |   |  |  |  |
| 180.00 | 1.1 प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को कवरेज | 1.1 मासिक पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या   | यह योजना 31 मार्च, 2020 तक अभिदान के लिए खुली है। इसके पश्चात् आगे और नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। | 1 प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना के अंतर्गत संवितरित राशि                       | 1.1 पेंशन भुगतान के लिए एलआईसी द्वारा संवितरित राशि (करोड़ रु. में)                          | यह योजना 31 मार्च, 2020 तक अभिदान के लिए खुली है। इसके पश्चात् आगे और नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। |  |
|        |  | 1.2 तिमाही पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या  |  | 2 प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के कवरेज में वृद्धि | 1.2 मृत्यु उपरांत दिए जाने वाले लाभ के संबंध में एलआईसी द्वारा संवितरित राशि (करोड़ रु. में) |  |  |
|        |  | 1.3 छमाही पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या   |  | 3. सुनिश्चित प्रतिफल की कमी जिसे सरकार द्वारा वहन किया गया                    | 1.3 योजना से परिपक्वता पूर्व निकासी हेतु एलआईसी द्वारा संवितरित राशि (करोड़ रु. में)         |  |  |
|        |  | 1.4 वार्षिक पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या |  |   | 2.1 प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में % वृद्धि           |  |  |
|        |  |   |  |   |  |  |  |

|        |  |  |  |  |   |  |
|--------|--|--|--|--|---|--|
| 3      | अटल पेंशन योजना (एपीवाई)               |  |  |  |   |  |
| 299.00 | एपीवाई के पात्र अभिदाताओं को सह-अंशदान | एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान के लिए पात्र अभिदाताओं को स्वीकृति के लिए प्रस्तावित 125 करोड़ रुपए की राशि                 | अधिकतम 1,000 रुपए के अध्यक्षीन एपीवाई में अभिदाता के अंशदान का 50% प्रतिपूर्ति करके मार्च 2016 तक एपीवाई योजना के अंतर्गत नामांकित पात्र अभिदाता बेस का समर्थन करता है। सह-अंशदान की राशि का भुगतान अभिदाता के बचत बैंक खाते में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात किया जाएगा। सह-अंशदान 5 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2019-20 तक देय होगा। | एपीवाई का अभिदान अभिदाताओं को वृद्धावस्था के दौरान आय की सुरक्षा प्रदान करेगा। | एपीवाई योजना के अंतर्गत 1.90 करोड़ से अधिक अभिदाता लाभान्वित हुए हैं। | आज तक एपीवाई के अंतर्गत 1.90 करोड़ से अधिक अभिदाता नामांकित हुए हैं। यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के बीच के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत के लिए प्रोत्साहित करता है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक पात्र लोगों में से 6% से अधिक को कवर करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करता है। |
|        | एपीवाई सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन    | एपीवाई सेवा प्रदाताओं (एसपी) को प्रोत्साहन के भुगतान के लिए मंजूर की जानी वाली 169 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है। | प्रत्येक मौजूदा खाते के लिए 100 रुपए प्रति खाता तथा नए खाते खोलने हेतु 120 रुपए प्रति नए खाते की दर से प्रोत्साहित करके एपीवाई के कवरेज का समर्थन करता है।   | एपीवाई का अभिदान अभिदाताओं को वृद्धावस्था के दौरान आय की सुरक्षा प्रदान करेगा। | एपीवाई योजना के अंतर्गत 1.90 करोड़ से अधिक अभिदाता लाभान्वित हुए हैं। | बैंकों तथा डीओपी को प्रोत्साहन से एपीवाई के लिए बेहतर कवरेज सुकर होगी जिससे डीएफएस द्वारा आवंटित वार्षिक एपीवाई लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकेगी।  |

|       |  |  |  |   |  |  |
|-------|--|--|--|---|--|--|
|       | एपीवाई के अंतर्गत प्रचार अभियान  | एपीवाई के अंतर्गत प्रचार अभियान के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रस्तावित है। | योजना के बारे में जागरूकता के माध्यम से एपीवाई के कवरेज का समर्थन करता है। | बेहतर जागरूकता से अधिक कवरेज होगा तथा अभिदाता स्तर बेहतर होगा।            | एपीवाई योजना के अंतर्ग 1.90 करोड़ से अधिक अभिदाता लाभान्वित हुए हैं।                       | योजना तथा इससे संबंधित लाभ के बारे में अभिदाताओं के जागरूकता स्तर में वृद्धि |
| 4     | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए प्रचार/जागरूकता निर्माण के लिए निधि पोषण सहायता। |  |  |   |  |  |
| 10.00 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के बारे में जागरूकता फैलाना                             | शून्य  | इसके लिए कोई संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।             | योजनाओं के तहत सार्वभौमिक बीमा कवरेज तथा त्वरित दावा निपटान।              | शून्य  | इसके लिए कोई संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।               |
| 5     | इंडो-स्विस सहयोग- VI नाबार्ड, इंडो-स्विस परियोजना समझौते के अंतर्गत दावों के निपटान हेतु नाबार्ड को अनुदान   |  |  |   |  |  |
| 0.86  | गैर कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषण ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके।     | नाबार्ड को दावों के रूप में दी जाने वाली कुल प्रस्तावित राशि                           | बजट अनुमान 2020-21 में यथा प्रस्तावित                                      | पूंजी निर्माण तथा आस्ति सृजन के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना | ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधियों के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को प्रस्तावित पुनर्वित्त पोषण | बजट अनुमान 2020-21 में यथा प्रस्तावित  |

|       |   |   |  |   |  |                        |
|-------|---|---|--|---|--|------------------------|
| 6     | आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि में अंशदान                    |   |  |   |  |                        |
| 20.00 | व्यापारिक लेनदेनों के लिए व्यापारी ऑन-बोर्डिंग सहित 20 लाख भीम आधार पे उपकरणों को स्थापित करने के लिए सहायता। | लगाए गए भीम आधार पे उपकरणों की संख्या             | संकेतक मांग आधारित है।                                     | 20 लाख भीम आधार पे उपकरणों को स्थापित करने के लक्ष्य में से दिनांक 15.10.2019 तक उपकरणों को स्थापित कर दिया गया है। नाबार्ड ने भुगतान बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक तथा एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा उपकरणों को स्थापित किए जाने को शामिल करने के लिए योजना के विस्तार हेतु अनुरोध किया है। | भीम आधार पे उपकरणों की संख्या  | संकेतक मांग आधारित है। |
| 7     | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) तथा मुद्रा लिमिटेड द्वारा अन्य पहल के लिए प्रचार-प्रसार और जागरूकता।    |   |  |   |  |                        |
| 10.00 | पीएमएमवाई के बारे में जागरूकता फैलाना   | विभिन्न माध्यमों से प्रचारित विज्ञापनों की संख्या | इस संकेतक हेतु लक्ष्य आसानी से प्रभावित होने वाला नहीं है। | पीएमएमवाई के अंतर्गत उधारकर्ता बेस में वृद्धि   | वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु पीएमएमवाई के अंतर्गत उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि का % | संकेतक मांग आधारित है। |

|   |   |   |  |   |  |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 8 स्टैण्ड अप इंडिया गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के माध्यम से)                             |   |   |  |   |  |  |  |
| 100.00  | स्टैण्ड अप इंडिया योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को अधिदेश के अनुसार गारंटी प्रदान करना। | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई गारंटियों की संख्या।                           | सदस्य उधारदात्री संस्थाओं के ऋण जोखिम को कम करके कवरेज को बढ़ाना तथा पात्र उधारकर्ताओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। | पात्र उधारकर्ताओं (अ.जा/अ.ज.जा. तथा महिला उद्यमी) को संपार्श्विक मुक्त औपचारिक ऋण उपलब्ध कराया गया। | योजना के अंतर्गत जारी की गई गारंटियों की संख्या।                   | सदस्य उधारदात्री संस्थाओं के ऋण जोखिम को कम करके कवरेज को बढ़ाना तथा पात्र उधारकर्ताओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। |  |
| 9 स्टैंड अप इंडिया तथा सिडबी द्वारा अन्य पहलों के बारे में प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता |   |   |  |   |  |  |  |
| 5.00  | स्टैण्ड-अप इंडिया के बारे में जागरूकता फैलाना   | विभिन्न माध्यमों से प्रचारित विज्ञापनों की संख्या                                       | इस संकेतक हेतु लक्ष्य आसानी से प्रभावित होने वाला नहीं है।   | स्टैण्ड अप इंडिया के अंतर्गत उधारकर्ता बेस में वृद्धि   | स्टैण्ड अप इंडिया के अंतर्गत उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि का % | संकेतक मांग आधारित है।   |  |
| 10 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता                            |   |   |  |   |  |  |  |
| 200.00  | भारत सरकार द्वारा आईएफसीआई में इक्विटी निवेश  | आईएफसीआई में भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया जाना प्रस्तावित है। | आईएफसीआई लि. की पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखना  | पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखा गया।   | विनियामकीय अनुपालन किया गया  | पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखा गया।  |  |

|        |   |   |   |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|--|--|--|--|
| 11     | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूजीकरण |   |   |  |  |  |  |
| 200.01 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूजीकरण | पुनर्पूजीकृत आरआरबी की संख्या             | ऐसे 21 आरआरबी को पुनर्पूजीकरण सहायता प्रदान करना जिनका पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2019 को आरआरबी की वित्तीय स्थिति के अनुसार 9% से नीचे था।               | विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखना | विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सीआरएआर बनाए रखने वाले आरआरबी की संख्या | दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार आरआरबी की वित्तीय स्थिति/सीआरएआर के अनुसार, 21 आरआरबी अपने सीआरएआर को न्यूनतम 9% तक बढ़ा सकेंगे। |  |
|        |   | पुनर्पूजीकरण के लिए आरआरबी को अंतरित राशि | उन आरआरबी को 200 करोड़ रुपए की पुनर्पूजीकरण सहायता प्रदान करना जिनका पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2019 को आरआरबी की वित्तीय स्थिति के अनुसार 9% से नीचे था। |  |  |  |  |

## INDEX

| Sl.No.    | Departments   | Page No. |
|-----------|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>Demand No.27-Department of Economic Affairs</b>  |          |
| (i)       | Viability Gap Funding (CS)  | 13       |
| (ii)      | Interest Equalisation Support for Indian Companies (CS)   | 14       |
| <b>2.</b> | <b>Demand No. 29-Department of Financial Services</b>   |          |
| (i)       | Payment to LIC for Pension Plan for Senior Citizens   | 15       |
| (ii)      | Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana (PMVVY)   | 16       |
| (iii)     | Atal Pension Yojana (APY)   | 17       |
| (iv)      | Funding support for publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) | 18       |
| (v)       | Grants to NABARD to settle the claims under Indo-Swiss Cooperation-VI NABARD Indo-Swiss Project agreement   | 18       |
| (vi)      | Contribution to Financial Inclusion Fund of NABARD to promote AADHAR enable payment systems   | 18-19    |
| (vii)     | Publicity and Awareness for Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) and other initiatives by MUDRA Ltd.  | 19       |
| (viii)    | Stand-Up India Guarantee Fund (through NCGTC)   | 19       |
| (ix)      | Publicity and Awareness for Stand Up India and other initiatives by SIDBI   | 19       |
| (x)       | Equity support to Industrial Finance Corporation of India (IFCI)  | 20       |
| (xi)      | Recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs)   | 20       |

## Department of Economic Affairs

## 1. Viability Gap Funding (CS)

| Financial Outlay<br>(Rs. In. Cr.) | Output 2020-21   |   |                 | Outcomes 2020-21   |   |   |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|--|---|---|
|                                   | 2020-21  | Output  | Indicator(s)    | Target   | Outcome   | Indicator(s)  |
| 240.69                            | 1. Provide Financial support/viability gap funding to infrastructure | 1.1.Total amount approved(final approval by EI/EC) in the form of Viability Gap Funding (in Rs. crores) | Rs.1000 crore   | 1. Increased Private Sector participation and infrastructure | 1.1. Total Net Private investment in supported projects excluding VGF (estimated) (in Rs. crores) | Rs. 960 crore   |
|                                   |  | 1.2 VGF Expected to be disbursed (Financial Outlay)   | Rs.240.69 Crore |  |   |   |
|                                   |  | 1.3.Total number of projects supported (sector wise)  | 6               |  |   |   |
|                                   |  | 1.4.Total Investment in the supported projects (estimated) (in Rs. crores)                              | Rs. 1200 Crore  |  |   | 1.2. Percentage increase in private investment in supported projects (estimated ) as compare to the previous year |

| <b>2. Interest Equalisation Support for Indian Companies (CS)</b> |   |   |                                  |  |   |                       |
|---|---|---|----------------------------------|--|---|-----------------------|
| <b>FINANCIAL OUTLAY (Rs. In Cr.)</b>                              | <b>OUTPUTS 2020-21</b>  |   |                                  | <b>OUTCOMES 2020-21</b>  |   |                       |
| <b>2020-21</b>  | <b>Output</b>   | <b>Indicator(s)</b>   | <b>Target</b>                    | <b>Outcome</b>   | <b>Indicator(s)</b>   | <b>Target 2020-21</b> |
| 20.85   | 1. IES to Exim Bank under CFS Scheme to enable it to offer concessional finance to any foreign Govt. or foreign Govt. owned or controlled entity, if an Indian company owned by resident Indian citizens and producing domestically, succeeds in getting contract for the execution of a project tendered by such foreign entity and the project is considered strategically important. | 1.1 Amount of Interest Equalisation Support given to EXIM Bank under Concessional Financing Scheme (CFS) (in Rs.) | <b>Rs.293.53 crore (Approx.)</b> | 1. To support Indian companies bidding for strategically important <b>infrastructure projects</b>  | 1.1 No. of contracts which Indian companies succeed in getting in projects covered under the Scheme | Targets not amenable  |
|   |   | 1.2 No. of projects approved for financing under CFS  | 1                                |  | 1.2 Amount of contracts given to Indian companies under the scheme                                  | Targets not amenable  |
|   |   | 1.3 Amount of financing under CFS (in US\$)   | 1600 Million                     | 2. To promote India's strategic, political & economic interest abroad & also to generate goodwill & building long term partnership with other countries. | 2.1 To promote India's Strategic Political & Economic interest and good will.                       | Targets not amenable  |
|   |   | 1.4 Utilisation of funds towards payment of IES under CFS (in %)  | 100%                             |  |   |                       |

## Department of Financial Services

| Sl. No. | Financial Outlay (Rs. in Crore)                            | Outputs 2020-21  |   |  | Outcomes 2020-21   |   |  |
|---------|--|--|---|--|--|---|--|
|         | 2020-21  | Output   | Indicator(s)  | Target 2020-21   | Output   | Indicator(s)  | Target 2020-21   |
| 1       | <b>Payment to LIC for Pension plan for Senior Citizens</b> |  |   |  |  |   |  |
|         | 115.10   | Contribution as Interest subsidy to LIC  | Amount (in cr) contributed as Interest subsidy to LIC | Varistha Pension Bima Yojana (VPBY)-2003 and VPBY-2014 are closed ended schemes so no further enrolment can take place under these schemes. However, policies sold during the currency of these schemes are being serviced as per the commitment of guaranteed 9% return announced by the Government under the schemes. <b><i>As such, no further target has been allocated for this scheme.</i></b> | Ensure 100% guaranteed return to all Varistha Pension Bima Yojana (VPBY) subscribers by providing funds to Life Insurance Corporation of India (LIC) in case of any gap between the actual rate of return and the guaranteed rate of return (9%) | 100 per cent guaranteed return to subscribers under the schemes | VPBY-2003 and VPBY-2014 are close ended. Hence no further enrolment is possible under schemes. However, Government is committed to ensure 100% guaranteed return to all existing VPBY subscribers. |
|         |  | Timely disbursement to 100% subscribers of Varistha Pension Bima Yojana (VPBY) | Percent of subscribers covered                        |  |  |   |  |

| 2      | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)                    |   |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| 180.00 | 1.1 Coverage of senior citizens under PM Vaya Vandana Yojana. | 1.1 No. of Senior Citizens opting for the monthly pension plan (Numbers)          | Scheme is open for subscription up to 31st March, 2020. No further enrolment will be allowed thereafter. | 1 Amount disbursed under PM Vaya Vandana Yojana                      | 1.1 Amount Disbursed by LIC for Pension Payments (in Rs. crore)                | Scheme is open for subscription up to 31st March, 2020. No further enrolment will be allowed thereafter. |  |
|        |   | 1.2 No. of Senior Citizens opting for the scheme quarterly pension plan (Numbers) |  | 2 Increased Coverage of senior citizens under PM Vaya Vandana Yojana | 1.2 Amount Disbursed by LIC for Death Benefits (In Rs. crore)                  |  |  |
|        |   | 1.3 No. of Senior Citizens opting for the half yearly pension plan (Numbers)      |  | 3. Shortfall from the assured return borne by the Government         | 1.3 Amount Disbursed by LIC for pre mature exit from the scheme (In Rs. crore) |  |  |
|        |   | 1.4 Number of Senior Citizens opting for the annual pension plan                  |  |  | 2.1 % increase in senior citizens under PM Vaya Vandana Yojana                 |  |  |

| 3 | Atal Pension Yojana (APY) |  |   |   |   |   |   |
|---|---------------------------|--|---|---|---|---|---|
|   | 299.00                    | Co-contribution to eligible subscribers of the APY | Rs.125 crore proposed to be sanctioned to subscribers eligible for Government co-contribution under APY | Supports eligible subscriber base enrolled under APY scheme till March, 2016, by reimbursing 50% of their contribution into APY, subject to the maximum of Rs.1000. The amount of co-contribution is paid into the subscriber's Savings Bank Account after the end of FY. The co-contribution is payable for 5 years up to 2019-20. | Subscription of APY would provided old age income security to the subscribers | More than 1.90 crore subscribers benefitted under APY | Till date, more than 1.90 crore subscribers have enrolled under APY. The scheme encourages workers from unorganized sector between 18-40 years of age (40 crore approx is the eligible population) to voluntarily save for their retirement and provide old age income security by covering more than 6% of the eligible population by the end of FY 2020-21. |
|   |                           | Incentive to APY Service Providers                 | Rs.169 crore proposed to be sanctioned for payment of incentive to APY Service Providers (SPs)          | Supports coverage of APY by incentive of Rs.120/- per new account opening and Rs.100/- per account for every persistent account.  | Subscription of APY would provided old age income security to the subscribers | More than 1.90 crore subscribers benefitted under APY | The incentive to the banks and DoP facilitates better coverage for APY resulting in achievement of the Annual APY targets allotted by DFS.  |
|   |                           | Promotional Campaign under APY                     | Rs.5 crore proposed to be sanctioned for promotional campaign under APY                                 | Supports coverage of APY by creating awareness about the scheme.  | Better awareness would result in more coverage and better persistency levels. | More than 1.90 crore subscribers benefitted under APY | Increase in the awareness levels of the subscribers regarding the overall scheme and related benefits.  |

|          |  |  |  |   |  |  |   |
|----------|--|--|--|---|--|--|---|
| <b>4</b> | <b>Funding support for publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)</b> |  |  |   |  |  |   |
|          | <b>10.00</b>   | Creation of awareness about Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)   | NIL  | No numerical targets can be set for this. | Universal insurance coverage and prompt claims settlement under the schemes.   | NIL  | No numerical targets can be set for this. |
| <b>5</b> | <b>Grants to NABARD to settle the claims under Indo-Swiss Cooperation- VI NABARD Indo-Swiss Project agreement</b>  |  |  |   |  |  |   |
|          | <b>0.86</b>  | Refinance by NABARD for non farm sector so as to increase the flow of credit by banks for nonfarm activities in rural areas. | Total amount proposed to be released as claims to NABARD | As proposed in BE 2020-21                 | Promote Non-farm sector, through asset creation and capital formation  | Refinance proposed to Rural Financial Institutions for Rural Non-Farm activities | As proposed in BE 2020-21                 |
| <b>6</b> | <b>Contribution to Financial Inclusion Fund of NABARD to promote AADHAR enable payment systems</b>   |  |  |   |  |  |   |
|          | <b>20.00</b>   | Support for deployment of 20 lakh BHIM Aadhaar Pay Devices including merchant on-boarding for merchant transactions.         | Number of BHIM Aadhaar Pay Devices installed.            | Indicator is demand driven.               | Out of target of deployment of 20 lakh BHIM Aadhaar pay Devices have been deployed till 15.10.2019. NABARD has requested for extension of the scheme to accommodate deployment of devices by the | Number of BHIM Aadhaar Pay Devices installed.                                    | Indicator is demand driven.               |

|          |   |  |  |   |  |  |   |
|----------|---|--|--|---|--|--|---|
|          |   |  |  |   | Payment Banks, India Post Payments Banks and Airtel Payments Bank.                                 |  |   |
| <b>7</b> | <b>Publicity and Awareness for Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) and other initiatives by MUDRA Ltd.</b> |  |  |   |  |  |   |
|          | <b>10.00</b>  | Create awareness about PMMY  | No. of Advertisements showcased through various medium           | Targets not amenable for this indicator   | Augmentation of borrowers base under PMMY  | % increase in borrowers under PMMY for FY 2020-21  | Indicator is demand driven  |
| <b>8</b> | <b>Stand-Up India Guarantee Fund (through NCGTC)</b>  |  |  |   |  |  |   |
|          | <b>100.00</b>   | To extend guarantee as per mandate to loans sanctioned under Stand Up India scheme | Number of Guarantees issued under the scheme during F.Y. 2020-21 | Coverage enhancement by mitigating credit risk to Member Lending Institutions and make available collateral free lending to eligible borrowers. | Collateral free formal lending made available to eligible borrowers (SC/ST and women entrepreneur) | Number of Guarantees, issued under the Scheme.     | Coverage enhancement by mitigating credit risk to Member Lending Institutions and make available collateral free lending to eligible borrowers. |
| <b>9</b> | <b>Publicity and Awareness for Stand Up India and other initiatives by SIDBI</b>                          |  |  |   |  |  |   |
|          | <b>5.00</b>   | Create awareness about Stand Up India Scheme                                       | No. of Advertisements showcased through various medium           | Targets not amenable for this indicator   | Augmentation of subscriber base under Stand Up India   | % increase in subscribers under Stand Up India for | Indicator is demand driven  |

|           |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>10</b> | <b>Equity support to Industrial Finance Corporation of India (IFCI)</b> |   |   |   |   |   |   |
|           | <b>200.00</b>   | Equity infusion in IFCI by Govt. of India       | Equity infusion of Rs.200 crore proposed to be provided to IFCI by Govt. of India | Maintain capital adequacy of IFCI Ltd.  | Capital Adequacy maintained   | Regulatory compliance met.                                      | Maintain capital adequacy   |
| <b>11</b> | <b>Recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs)</b>                  |   |   |   |   |   |   |
|           | <b>200.01</b>   | Recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs) | Number of RRBs recapitalized  | To provide recapitalization support to 21 RRBs whose Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) stood below 9% as per financial position of RRBs as on 31 <sup>st</sup> March, 2019.                    | Maintaining Capital risk weighted assets ratio (CRAR) to meet regulatory requirements | Number of RRBs maintaining CRAR to meet regulatory requirements | As per the financial position/ CRAR of RRBs as on 31.03.2019, 21 RRBs would be able to raise their CRAR to at least 9%. |
|           |   |   | Amount transferred to RRBs for recapitalization                                   | To provide recapitalization support of Rs.200 crore to those RRBs whose Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) stood below 9% as per financial position of RRBs as on 31 <sup>st</sup> March, 2019. |   |   |   |